POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 13.02.2025

1. थाना सेक्टर-39 नोएडा पुलिस द्वारा 08 प्रवासी बांग्लादेशी किये गये गिरफ्तार, कब्जे से जाली दस्तावेज बरामद ।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **13.02.2025** को **थाना सेक्टर-39** नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलिजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुये **08 प्रवासी बांग्लादेशी** 1. मौ0 फखरुद्दीन उर्फ रोनी पुत्र मौ0 सफीकुल इस्लाम 2. रिहान पुत्र मौ0 रबू 3. मौ0 मौमीन पुत्र मौ० मुकबूल 4. मौ0 कामरूल पुत्र मौ0 जमाल 5. मौं0 क्य्यूम उर्फ रिपोन पुत्र मौ0 फज्जुल हुसैन 6. रविउल इस्लाम पुत्र मौ0 मजीवुर रहमान 7. राशिल पुत्र मौ0 फजलूहक 8. सोहेल राणा पुत्र मौ0 सुलेमान अली को पिलर नं0 82 सलारपुर दादरी रोड से **गिरफ्तार** किया गया है, कब्जे से 06 फर्जी आधार कार्ड व एक फर्जी पैन कार्ड बरामद।

अभियुक्तों का विवरण--

1. मौ0 फखरुद्दीन उर्फ रोनी पुत्र मौ0 सफीकुल इस्लाम निवासी ग्राम मराध्यार पौ मनतरातुली हाट जिला ठाकुर गांव बांग्लादेश उम्र-20 वर्ष
2. रिहान पुत्र मौ0 रबू निवासी ग्राम गेरुआडांगी पो. मुन्ना टोली हाट जिला ठाकुर गांव बाग्लादेश उम्र करीब 22 वर्ष
3. मौ0 मौमीन पुत्र मौ० मुकबूल निकासी ग्राम बेलाजन डाक बेलाजन जिला ठाकुरगांव बांग्लादेश उम्र करीब 23 वर्ष
4. मौ0 कामरूल पुत्र मौ0 जमाल निवासी ग्राम माराधार जिला ठाकुरगाँव बांग्लादेश उम्र करीब 18 वर्ष
5. मौं0 क्य्यूम उर्फ रिपोन पुत्र मौ0 फज्जुल हुसैन निवासी ग्राम गेरूआ डागी जिला ठाकुरगाँव बांग्लादेश उम्र करीब 24 वर्ष
6. रविउल इस्लाम पुत्र मौ0 मजीवुर रहमान निवासी ग्राम उतर सोनावती जिला ठाकुरगाँव बांग्लादेश उम्र करीब 24 वर्ष
7. राशिल पुत्र मौ0 फजलूहक निवासी माराधार जिला ठाकुरगाँव बांग्लादेश उम्र करीब 19 वर्ष
8. सोहेल राणा पुत्र मौ0 सुलेमान अली निवासी गेरूआ डांगी जिला ठाकुरगाँव बांग्लादेश उम्र करीब 20 वर्ष ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 82/25 धारा 336(3)/340(2) बीएनएस व 14(ए) विदेशी एक्ट थाना सैक्टर 39 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण --

06 फर्जी आधार कार्ड व एक फर्जी पैन कार्ड

2. थाना सेक्टर-63 नोएडा पुलिस तथा छेड़छाड करने वाले अभियुक्त के साथ हुयी मुठभेड़ के सम्बन्ध में-

घटना का विवरण-- दिनांक **13.02.2025** को **थाना सेक्टर-63** पुलिस द्वारा बहलोलपुर अंडरपास पर चैकिंग की जा रही थी। चैकिंग के दौरान पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0सं0 61/2025 धारा 75/108 बीएनएस व धारा 7/8 पोक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त रामपाल थाना क्षेत्र के एफएनजी सर्विस रोड पर ग्रीन बेल्ट के पास किसी के इंतजार में खड़ा है। प्राप्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा घेराबन्दी करते हुए अभियुक्त की तलाश की जाने लगी। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की तलाश की जा रही थी कि एफएनजी सर्विस रोड ग्रीन बेल्ट के गेट पर खड़ा अभियुक्त पुलिस को देखकर ग्रीन बेल्ट में अंदर की तरफ भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त को भागता देख उसे रूकने के लिए कहा गया तो अभियुक्त द्वारा अपने आप को पुलिस से घिरता देख पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से अपने पास लिये अवैध अस्लहे से फायर किया गया। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ की गयी जवाबी कार्रवाई में अभियुक्त रामपाल पुत्र गुलाब सिंह गोली लगने से घायल हो गया। घायल बदमाश के कब्जे से एक तमंचा, 01 खोखा कारतूस, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए है। घायल बदमाश को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही।

दिनांक 13.02.2025 को वादी द्वारा थाना सेक्टर-63 पर तहरीर दी कि अभियुक्त रामपाल पुत्र गुलाब सिंह द्वारा वादी की लडकी को घर से बुलवाकर उसके साथ छेडछाड करना, जिस कारण वादी की लडकी द्वारा आत्महत्या कर ली है। वादी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार थाना सेक्टर-63 पर मु0अ0सं0 61/2025 धारा 75/108 बीएनएस व धारा 7/8 पोक्सो एक्ट पंजीकृत किया गया था।

अभियुक्त का विवरण--

रामपाल पुत्र गुलाब सिंह निवासी ग्राम खेरिया मुशाहिदपुर थाना सिरसागंज, जनपद फिरोजाबाद हाल पता गली नं0 37, 25 फुटा रोड छिजारसी थाना सेक्टर-63, नोएडा

बरामदगी का विवरण--

01 अवैध तमंचा .315 बोर मय 01 खोखा एवं 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर

3. थाना सेक्टर-63, नोएडा पुलिस द्वारा एनसीआर क्षेत्र में मोबाइल फोन स्नैचिंग व दुपहिया वाहन चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल प्लेटिना, लूटे हुये 02 मोबाइल फोन (भिन्न-भिन्न कम्पनी) तथा 01 अवैध चाकू बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **13.02.2025** को **थाना सेक्टर-63**, नोएडा पुलिस द्वारा लोकल इंटेलीजेंस एवं गोपनीय सूचना के आधार पर एनसीआर क्षेत्र में घूम-फिरकर मोबाइल फोन स्नैच करने एवं दो पहिया वाहन चोरी करने वाला 01 शातिर मोबाइल फोन स्नैचर (लूटेरा)/वाहन चोर हिमान्शु पुत्र प्रदीप को एफएनजी सर्विस रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से चोरी की 01 प्लेटिना बाईक, छीने गये 02 मोबाइल फोन एवं 01 नाजायज चाकू बरामद किया गया है। बरामदगी के सम्बन्ध में थाना सेक्टर-63, नोएडा पर मु0अ0सं0 62/2025 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत किया गया। अभियुक्त का एक अन्य साथी मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि बरामद मोटरसाइकिल मैने तथा मेरे साथी ने मिलकर व्यापार मार्ग सेक्टर-12/22, नोएडा से माह जनवरी में चोरी की थी। बरामद दोनों माबाईल फोन भी मैने अपने साथी के साथ मिलकर नोएडा से ही छीने थे, जिनकी जगह मुझे याद नहीं है। हम लोग छीने हुए मोबाइल फोनों को राह चलते व्यक्तियों को अपनी मजबूरी बताकर सस्ते दामो में बेच देते है। इसी बाईक से हम जगह-जगह घूम-कर मोबाइल फोन छीनते है। आज भी हम दोनो यहां मोबाइल फोन छीनने की फिराक में आये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1-हिमान्शु पुत्र प्रदीप निवासी डोली की कोठी वाली गली नं0 06 कृष्णा नगर बागू थाना क्रोसिंग रिपब्लिक, जनपद गाजियाबाद (उम्र 20 वर्ष)

- **अभियुक्त हिमान्शु पुत्र प्रदीप उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-**

1- मु0अ0सं0 65 /25 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 4/25 शस्त्र अधिनियम

2- मु0अ0सं0 725/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना बिसरख, नोएडा

3- मु0अ0सं0 749/24 धारा 309(5) बीएनएस थाना बिसरख, नोएडा

4- मु0अ0सं0 776/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना बिसरख, नोएडा

5- मु0अ0सं0 837/24 धारा 317(2)/317(5) बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधिनियम एवं 08/21 एनडीपीएस एक्ट थाना बिसरख।

बरामदगी का विवरण--

1. 01 मोटर साईकिल प्लेटिना (चोरी की)
2. 02 मोबाईल फोन (छीने गये)
3. 01 अवैध चाकू